

¹प्ररूप सं. 27थ

¹क[धारा 194ख, 194खक, 194खख, 194ड. , 194ठख, 194ठखक, 194ठखख, 1194ठखग, 194ठग, 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, 194क, 206कक, 206कख तथा नियम 31क देखें]

आय कर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन (जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च) (वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही को अनिवासियों के वेतन से भिन्न संदाया की बाबत कर की कटौती का तिमाही विवरण]

1. (क) कर कटौती और संग्रहण खाता सं. (टैन) (घ) क्या इस तिमाही से पहली कोई विवरणी फाइल की गई है (हां/नहीं)
- (ख) 1ख[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] [टिप्पण 1 देखिए] (ङ) यदि (घ) का उत्तर “हां” है तो मूल विवरणी का टोकन सं.
- (ग) वित्तीय वर्ष (च) 2[कटौतीकर्ता/संदायकर्ता] का प्रकार (टिप्पण 2 देखिए)

2. 2[कटौतीकर्ता/संदायकर्ता] की विशिष्टियां :

(क) 2[कटौतीकर्ता/संदायकर्ता] का नाम	
(ख) यदि केंद्रीय/राज्य सरकार नाम (टिप्पण 3 देखिए)	
पीएओ/टीओ/सीडीडीओ का एआईएन कोड	
(ग) टैन रजिस्ट्रीकरण सं.	
(घ) पता फ्लैट नं.	
परिसर/भवन का नाम	
रोड/मार्ग/लेन	
क्षेत्र/अवस्थान	
टाउन/नगर/जिला	
राज्य	
पिन कोड	
टेलीफोन नं.	
अनुकल्पी टेलीफोन नं. (टिप्पण 4 देखिए)	
ई-मेल	
अनुकल्पी ई-मेल (टिप्पण 4 देखिए)	

1. आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2013 द्वारा 19.2.2013 से प्रतिस्थापित। इससे पूर्व, प्ररूप 27थ, आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2010 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.4.2009 से, आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 2009 द्वारा (प्रवृत्त नहीं) संशोधित और आय-कर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2005 द्वारा 30.6.2005 से अंतःस्थापित किया गया था।

1क. आय-कर (पाँचवां संशोधन) नियम, 2023 द्वारा 1.7.2023 से प्रतिस्थापित।

1ख. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से 'स्थायी खाता संख्यांक' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा 18.11.2019 से "कटौतीकर्ता" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की विशिष्टियां :

(क) नाम	
(ख) पता	
फ्लैट नं.	
परिसर/भवन का नाम	
रोड/मार्ग/लेन	
क्षेत्र/अवस्थान	
टाउन/नगर/जिला	
राज्य	
पिन कोड	
टेलीफोन नं.	
अनुकल्पी टेलीफोन नं. (टिप्पण 4 देखिए)	
ई-मेल	
अनुकल्पी ई-मेल (टिप्पण 4 देखिए)	
मोबाइल नं.	

4. काटा गया कर और केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त राशि के ब्यौरे :

क्र.सं.	कर	अधिभार	शिक्षा उपकर	ब्याज	फीस (टिप्पण 5 देखिए)	शास्ति/ अन्य	चालान/बही समायोजन के अनुसार कुल जमा रकम (702+703+704+705+706+707) (टिप्पण 6 देखिए)	चालान (ग)/ बही समायोजन (ख) द्वारा जमा करने की पद्धति (टिप्पण 7 देखिए)	बीएसआर कोड/प्ररूप सं. 24छ की प्राप्ति सं. (टिप्पण 8 देखिए)	चालान क्र. सं./प्ररूप सं. 24छ की डीडीओ क्र.सं. (टिप्पण 8 देखिए)	चालान द्वारा जमा की गई रकम की तारीख/वाउचर अंतरण की तारीख (दिदि/मम/वववव) (टिप्पण 8 देखिए)	चालान का लघु शीर्ष (टिप्पण 9 देखिए)
[701]	[702]	[703]	[704]	[705]	[706]	[707]	[708]	[709]	[710]	[711]	[712]	[713]
1												
2												
3												

³[5. संदत्त रकम और कटौतीदारों से उन पर काटा गया कर तथा बिना कटौती संदत्त रकम (उपाबंध देखिए)]

3. आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा 18.11.2019 से प्रतिस्थापित।

सत्यापन

में, _____, सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान : _____ स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

तारीख : _____ स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम.....

टिप्पण :

1. गैर सरकारी ³[कटौतीकर्ता/संदायकर्ता] के लिए ^{3क}[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] का उल्कथित किया जाना आवश्यक है। सरकारी ³[कटौतीकर्ता/संदायकर्ता] की दशा में ^{3क}[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] आवश्यक नहीं उल्लिखित होगा।
 2. कृपया सरकारी ³[कटौतीकर्ता/संदायकर्ता] या गैर ³[कटौतीकर्ता/संदायकर्ता] उपदर्शित करें।
 3. केंद्रीय सरकार की दशा में, कृपया मंत्रालय/विभाग का नाम उल्लिखित करें/राज्य सरकार की दशा में, कृपया राज्य का नाम उल्लिखित करें।
 4. अनुकल्पी टेलीफोन नं. और अनुकल्पी ई-मेल में, कृपया ऐसे व्यक्ति का टेलीफोन नं. और ई-मेल दिया जाए, जिससे ³[कटौतीकर्ता/संदायकर्ता] और कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की अनुपस्थिति में संपर्क किया जा सके।
 5. धारा 234ड के अधीन विलंब से स्रोत पर कर कटौती का विवरण फाइल करते समय संदत्त फीस को, 'फीस' के पृथक् स्तंभ में उल्लिखित किया जाए (स्तंभ 656)।
 6. स्तंभ 658 में, सरकारी डीडीओ, पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा विप्रेषित रकम को उल्लिखित करेंगे। अन्य ³[कटौतीकर्ता/संदायकर्ता] चालान द्वारा जमा की गई सही रकम को लिखेंगे।
 7. स्तंभ 659 में, सरकारी ³[कटौतीकर्ता/संदायकर्ता] "ख" लिखेंगे जहां स्रोत पर कर कटौती, बही समायोजन द्वारा केंद्रीय सरकार के जमा में विप्रेषित की जाती है। अन्य ³[कटौतीकर्ता/संदायकर्ता] "ग" लिखेंगे।
- ^{3ख}[7क. यदि धारा 197क की उपधारा (1च) के अधीन जारी अधिसूचना के अधीन कम कटौती या कोई कटौती न हो तो "पी" लिखिए।]
8. चालान/अंतरण वाउचर (सीआईएन/बीआईएन) विशिष्टियां, अर्थात् 710, 711, 712 वही होंगे जो कर सूचना नेटवर्क पर उपलब्ध हैं।
 9. स्तंभ 713 में, चालान पर यथा चिन्हित लघु शीर्ष उल्लिखित करें।

3. आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा 18.11.2019 से "कटौतीकर्ता" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3क. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3ख. आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा 1.7.2024 से अंतःस्थापित।

4[उपाबंध: स्त्रोत पर कर कटौती का कटौतीकर्ता वार व्यौरा

(कृपया मुख्य प्ररूप 27थ के क्रम सं. 4 की सारणी की प्रत्येक पंक्ति/मद के लिए पृथक उपाबंध का उपयोग करें)

समाप्त तिमाही (तारीख/माह/वर्ष) के दौरान संदत्त/प्रत्यय राशि और स्त्रोत पर कर कटौती का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूप 24 छ की रसीद संख्या	
जिस तिथि को चालन जमा/ हस्तांतरित किया गया वाउचर तारीख (दि/म/व)	
फॉर्म सं. 24छ का चालन क्रम सं. /डीडीओ क्रम सं.	
चालान के अनुसार रकम	
डिडकटियों के बीच किया जाने वाला आबंटित कुल टीडीएस जाने वाला जैसा कि, स्तंभ 720के लंबवत कुल में दिया गया है।	
नीचे वर्णित डिडकटियों के बीच कुल व्याज का आबंटन	

संदायकर्ता का नाम	
दैन	

क्रं सं	डिडकटी का संदर्भ सं. कटौती कर्ता द्वारा दिया गया यदि उपलब्ध हो	डिडकटी का कोड (टिप्पणी 11 देखें)	डिडकटी का पैम आधार संख्या/ टिप्पण [12 देखें]	डिडकटी का नाम	धारा कोड (देखें टिप्पणी 13)	क्या डिडकटी ने धारा 115खकग(1क) के अधीन कराधान का विकल्प चुना है)? (हां/नहीं)	संदाय या जमा की तिथि (दि/म/व)	धारा 194 ड में निर्दिष्ट ए करोड रूप से अधिक नकद निकासी रकम पर (धारा 194 ड के पहले परंतु एवं तीसरे परंतुक द्वारा आच्छादि न होने वा मामलों में)	धारा 194ड. के प्रथम परंतुक के उप खंड (क) के अंतर्गत मामलों में 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड नकद से कम रकम की निकासी (सहकारी सोसाइटियों के सिवाय)	धारा 194ड. के पहले परंतुक के खंड (II) के उपखंड (ख) के अंतर्गत मामलों में 1 करोड रूपए से अधिक नकद निकासी (सहकारी सोसाइटियों के सिवाय)	धारा 194ण के तीसरे परंतुक द्वारा आच्छादित समितियों के मामले में 3 करोड रू. से अधिक नकद रकम की निकासी (धारा 194ण के प्रथम परंतुक द्वारा अनाच्छादित मामलों में	धारा 194ण के तीसरे परंतुक के साथ पठित प्रथम परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (क) के द्वारा आच्छादित मामले में 3 करोड रू. से अधिक परंतु 3 करोड रू. से अनाधिक नकद रकम की निकासी है।	रकम	कर	अधिभार	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर S	कुल कर कटौती [722+ 723 + 724]	कुल जमा कर
[714]	[715]	[716]	[717]	[718]	[719क]	[719ख]	[720]	[720क]	[720ख]	[720ग]	[720घ]	[720च]	[721]	[722]	[723]	[724]	[725]	[726]
1																		
2																		
3																		
कुल																		

कटौती की तारीख	जिस दर पर कटौती की गई	कटौती कम न करने/ग्रेसिंग अप/ उच्च कटौती (टिप्पण 1 सं. 1 देखें)	निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती न करने/ कम कटौती के लिए जारी प्रमाण पत्र की संख्या	क्या टीडीएस की दर आयकर अधिनियम(क) डीटीएए(ख) के अनुसार है	धन प्रेषण की प्रकृति	सत्स्थानी प्ररूप सं. 15गक की अद्वितीय पावती यदि कोई हो	जिस देश में धन प्रेषण किया गया है	डिडकटी की ई मेल आई डी	डिडकटी का संपर्क नंबर	डिडकटी का पता जिस देश का निवासी हो	डिडकटी का टिन नंबर/यू आई एन
[727]	[728]	[729]	[730]	[731]	[732]	[733]	[734]	[735]	[736]	[737]	[738]
1											
2											
3											
कुल											

यदि धारा कोड 94ख-त का चयन किया है , तो प्रदान करें				यदि धारा कोड 94खक-त का चयन किया है , तो प्रदान करें			
जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या
[739]	[740]	[741]	[742]	[743]	[744]	[745]	[746]

सत्यापन

मैं.....स्पष्ट करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण सही व पूर्ण है।

स्थान.....

स्त्रोत कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

तारीख.....

कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पद

टिप्पणी :-

1. धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र के कारण यदि "कम कटौती" या "कोई कटौती नहीं" तो "क" लिखें

2. यदि जोड़ किया गया है तो 'ग' लिखें
3. यदि स्थायी खाता संख्या या आधार प्रस्तुत न करने का कारण या आधार से साथ स्थायी लेखा खाता को लिंक न कराने के कारण धारा 206कक के अधीन कटौती उच्च दर पर हो तो 'घ' लिखें।
4. यदि धारा 194ठखक की उपधारा (2क) को ध्यान में रखते हुए कोई नहीं है तो 'ड.' लिखें
5. धारा 194ड के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के कारण कम कटौती या कटौती नहीं हो तो 'ड' लिखें।
6. धारा 194ड के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना या धारा 194ड के तीसरे परंतुक में संदर्भित व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण यदि कटौती कम या कटौती नहीं हो तो 'ड' लिखें
7. धारा 194क की उपधारा (1घ) खंड(क) या (ख) के मद्देनजर कोई कटौती नहीं है तो 'ण' लिखें।
8. धारा 196घ की उपधारा (1क) के परंतुक के मद्देनजर कोई कटौती नहीं है तो 'एच' लिखें। धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन जो निर्दिष्ट निधि को भुगतान की गई आय पर छूट प्राप्त है
9. यदि विदेशी संस्थागत निवेशक को भुगतान या देय धारा 15कघ में संदर्भित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ की प्रकृति की आय के संबंध में धारा 196घ की उपधारा (2) के मद्देनजर कोई कटौती नहीं है तो 'झ' लिखें।
10. यदि भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान वाले अनिवासी द्वारा आय की विवरणी दाखिल करने धारा 206कख के मद्देनजर कटौती ज्यादा दर पर है तो 'ज' लिखें।
11. धारा बोर्ड की सूची इस प्रकार है:-

1. डिडकटी कोड की सूची

क्रम सं.	डिडकटी कोड	विवरण
1	01	कंपनी, घरेलू कंपनी के अलावा
2	02	व्यष्टि
3	03	हिंदू अविभक्त कुटुंब
4	04	व्यक्तियों का संगठन(एओपी) मामलों के अलावा जिसमें केवल कंपनियों के (एओपी) ही इसके सदस्य हो
5	05	व्यक्तियों का संगठन(एओपी) जिसमें केवल कंपनियों के (एओपी) ही इसके सदस्य हो
6	06	सहकारी समिति
7	07	फर्म
8	08	व्यष्टियों का निकाय
9	09	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में संदर्भित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
10	10	अन्य

2. डिडकटी के मामले में नियम 37खग द्वारा आच्छादित स्थायी खाता संख्या तथा आधार नंबर उपलब्ध नहीं है उसका वर्णन करना आवश्यक है.

3. धारा कोड की सूची इस प्रकार है :

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192क	करकर्मचारी को देय संचित रकम का भुगतान	192क
194ख	लॉटरी व क्रॉसवर्ड पहेली से जीत	94ख
धारा 194ख के परंतुक	ऑनलाइन खेलों से शुद्ध जीती रकम जब शुद्ध जीती रकम वस्तु या नकद के रूप में करदेयता चुकाने हेतु पर्याप्त न हो और ऐसी शुद्ध जीती रकम जारी होने से पूर्व हो कर चुका दिया गया हो	94ख-त
194खक	ऑनलाइन खेलों से जीत	94खक
धारा 194खक की उपधारा (2)	ऑनलाइन खेलों से शुद्ध जीती रकम जब शुद्ध जीती रकम वस्तु या नकद के रूप में करदेयता चुकाने हेतु पर्याप्त न हो और ऐसी शुद्ध जीती रकम जारी होने से पूर्व हो कर चुका दिया गया हो	94खक-त
194खख	घुड़दौड़ से जीत	4खख
194ड.	अनिवासी खिलाड़ी/खेल संघों को भुगतान	94ड.
194डख	संरचनागत ऋण निधि से ब्याज के रूप में आय	4डख
194डखक(क)	धारा 10(23चग(क)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	डखक 1
194डखक(ख)	धारा 10(23चग(ख)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	डखक 2
194डखक(ग)	धारा 10(23चग(ग)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	डखक 3
194डखख	निवेश निधि की इकाई के संबंध में आय प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश	डखख
1194डखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में आय	डखग
194डग(2)(i) एवं (क)	धारा 194डग की उपधारा(2) के खंड (i) तथा (क) के अधीन आय	4डग 1
194डग(2)(ख)	धारा 194डग की उपधारा(2) के खंड (i) तथा (ख) के अधीन आय	4डग 2
194डग(2)(ग)	धारा 194डग की उपधारा(2) के खंड (i) तथा (ग) के अधीन आय	4डग 3
194डघ	कतिपय बंध पत्र तथा सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय	4डघ
194ड	नकद में कतिपय रकम का संदाय प्रथम परंतुक या तीसरे परंतुक द्वारा आच्छादित मामलों के अलावा	94ड
194ड प्रथम परंतुक	गैर फाइलरों के नकद में कतिपय रकम का संदाय सहकारी समितियों के मामलों के अलावा	4ड-ड
194ड तीसरा परंतुक	सहकारी समितियों के प्रथम परंतुक द्वारा अनाच्छादित निश्चित नकद रकम का संदाय	4ड-ग

194ढ प्रथम परंतुक तीसरे परंतुक के साथ पठित	प्रथम परंतुक द्वारा अनाच्छदित सहकारी समितियों के निश्चित नकद रकम का संदाय	4ढ-चन
195	अनिवासी को अन्य देय रकम	195
196क	अनिवासी की इकाईयों के संबंध में आय	96क
196ख	अपतटीय निधि में इकाईयों के संबंध में भुगतान	96ख
196ग	अनिवासी को संदेय विदेशी मुद्रा बंध पत्र या भारतीय कंपनी के शेयर से आय	96ग
196घ(1)	उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की आय	96घ
194घ(1क)	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट व्याज आय के से भिन्न धारा 115ठघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से विनिर्दिष्ट निधि की आय	96घक]